सी पी आइ (एम) का पेंफलेट

सीएए/ एनआरसी/ एनपीआर: मोदी सरकार के दस महाझूठ

मोदी सरकार ने भारत के दिल में त्रिशूल घोंप दिया है। इस त्रिशूल के तीन फलक हैं--नागरिकता संशोधन कानून (सीएए), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) और राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एनपीआर)। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है कि राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर को अद्यतन करने की तैयारियां फौरन शुरू कर दी जाएं। सीएए के पारित कराए जाने के बाद, जिसका जाहिर है कि सी पी आइ (एम) ने संसद के दोनों सदनों में कड़ा विरोध किया था, यह इस सरकार का ऐसा दूसरा खतरनाक कदम है, जो नागरिक अधिकारों के मामले में सांप्रदायिक पहचान को आक्रामक रूप से घुसाने का एक आधार तैयार करेगा।

दूसरी ओर, असम समझौता चूंकि एक खास संदर्भ में हुआ था, सी पी आइ (एम) का यह कहना है कि समूचे उत्तर-पूर्व को ही सीएए और उससे जुड़ी प्रक्रियाओं के दायरे से बाहर रखा जाना चाहिए। हमारी पार्टी ने नागरिकता संशोधन विधेयक (सीएबी) में इस आशय का संशोधन भी रखा था, जिसे सत्ताधारियों ने खारिज करा दिया। इस सिलसिले में गौर करने वाली खास बात यह है कि असम समझौते में 1971 की समय सीमा तो तय की गयी थी कि उसके बाद आने वालों को नागरिकता नहीं दी जाएगी, लेकिन उसमें नागरिकता देने के मामले में धर्म के आधार पर कोई भेद नहीं किया गया था। लेकिन, सीएए न सिर्फ असम समझौते पर सीधे-सीधे एक हमला है बल्कि उसमें ''विदेशियों'' के मुद्दे में सांप्रदायिक पहलू और जोड़ दिया गया है।

अब जबकि उनके सांप्रदायिक खेल के खिलाफ देश भर में जबर्दस्त विरोध फूट पड़ा है, मोदी-शाह जोड़ी ने अपने झूठ के कारखाने को और तेजी से काम पर लगा दिया है। हिटलर की जर्मनी में नाजियों का जो प्रचार सूत्र था उसे याद रखें--बड़ा झूठ बोलो, बार-बार बोलो, तो लोग सच मानने लगेंगे। मोदी सरकार भी इसी नीति पर चल रही है। उसके एक-एक झूठ को बेनकाब करने की जरूरत है।

यह सरकार रोज-रोज नये-नये झूठ गढ़ रही है। इस प्रसंग से जुड़े उसके दस बड़े झूठ और उनके जवाब में सच इस प्रकार हैं:

झूठ-1: नागरिकता संशेधन कानून (सीएए) तो किसी के भी साथ भेदभाव नहीं करता है--हां, पड़ौस में उत्पीड़न की वजह से कोई शरण मांगे तो उसकी मदद करना हमारी संस्कृति है। इसका किसी भारतीय नागरिक से तो कुछ लेना-देना ही नहीं है।

सच: सीएए सीधे-सीधे भारत के संविधान पर हमला करता है।

भारतीय नागरिकता कानून, 1955 में बना था। उसमें पांच आधारों पर नागरिकता हासिल होने की बात कही गयी थी--जन्म से, वंशानुगतता से, देसीकरण से, रजिस्ट्रेशन से और इलाके के विलय से। इनमें से किसी में भी धर्म का जिक्र नहीं है। यह नागरिकता की हमारे संविधान में अपनायी गयी परिभाषा के अनुरूप है। हमारा संविधान नागरिकता हासिल करने के मामले में लोगों के बीच धार्मिक निष्ठा या जाति या वर्ग या लिंग के आधार पर कोई अंतर या भेदभाव नहीं करता है।

सीएए में इसे बदल दिया गया है। यह किया गया है, धारा-1बी में अवैध आप्रवासियों से संबंधित एक संशोधन के जरिए। इसमें 'अवैध आप्रवासी'(इल्लीगल माइग्रेंट) की संज्ञा वैसे तो 2003 में वाजपेयी सरकार के ही जमाने में जोड़ दी गयी थी। फिर भी, इससे जोड़ने के पीछ उस सरकार की मंशा साफ नजर आने के बावजूद, उस समय इन अवैध

आप्रवासियों को धर्म के आधार पर परिभाषित नहीं किया गया था। मोदी सरकार ने अब यह काम भी कर दिया है। सीएए में धारा--1बी में संशोधन कर उसमें जोड़ दिया गया है: 'अफगानिस्तान, बांग्लादेश या पाकिस्तान से हिंदू, सिख, बौद्ध, पारसी या ईसाई समुदाय के किसी भी व्यक्ति को जो 2014 के दिसंबर में या उससे पहले भारत में आया हो, अवैध आप्रवासी नहीं माना जाएगा।'

इस संशोधन के जरिए, भारत के इतिहास में पहली बार धर्म को, भारत में नागरिकता हासिल होने का आधार बना दिया गया है। मिसाल के तौर पर मान लीजिए कि भारत में दो ऐसे व्यक्ति रह रहे हैं, जिनके पास अपनी रिहाइश को साबित करने के लिए एक जैसे दस्तावेज हैं, पर अपने पूर्वजों के संबंध में सबूत नहीं हैं। उस सूरत में जो गैर-मुसलमान होगा, उसे तो ''वैध'' माना जाएगा, लेकिन जो मुसलमान होगा, उसे अवैध माना जाएगा। यह हमारे संविधान की धारा-14 पर ही हमला है, जो सभी लोगों के कानून की नजरों में समान होने का एलान करती है। यह धारा हमारे संविधान की बुनियादी संरचना का हिस्सा है।

सीएए एक और भी पहलू से बहुत ही भेदभावकारी है। उन तीन देशों के प्रवासियों को ही क्यों छांटकर लिया गया है? श्रीलंका या यांमार से आए शरणार्थियों को क्यों नहीं लिया जा रहा है? और पाकिस्तान के अहमदिया समुदाय का क्या? वे भी तो अपने देशों में 'उत्पीड़ित' महसूस कर रहे हो सकते हैं? उन्हें क्यों इससे बाहर रखा जा रहा है? यह कानून छांट-छांटकर नागरिकता की छूट देता है और इसलिए भेदभावकारी है।

कानून में किए गए दूसरे संशोधन का संबंध, भारत की नागरिकता के लिए प्रार्थना करने की पात्रता के लिए भारत में रिहाइश की आवश्यक अवधि से है। 1955 के मूल नागरिकता कानून की धारा-6.1 में इसे देसीकरण की प्रक्रिया के जरिए नागरिकता प्राप्त होना कहा गया है। देसीकरण के लिए पात्रता की शर्तों का और विवरण, इस कानून के शिड्यूल-3 में दिया गया है। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति जो पिछले ग्यारह साल से भारत में रह रहा हो, देसीकरण के जरिए नागरिकता का पात्र होगा। इसमें धर्म का कोई जिक्र नहीं है। लेकिन, सीएए-2019 में धर्म के आधार पर, उक्त तीनों देशों से मुसलमानों को छोड़कर अन्य सभी आप्रवासियों के लिए नागरिकता की पात्रता के लिए रिहाइश की न्यूनतम अवधि, घटाकर पांच साल कर दी गयी है। यह भी साफतौर पर भेदभाव करने वाला है।

सीएए के जरिए किए गए इन संशोधनों से पहले, 2015 के सितंबर में मोदी सरकार पूरी तरह से चोरी-छिपे और संसद के पीठ पीछे, 1920 के भारत में पारपत्र प्रवेश कानून और 1946 के विदेशी कानून में बदलाव कर चुकी थी। ये संशोधन, धर्म के आधार पर चुन-चुनकर उन्हीं छंटे हुए समुदायों के लोगों को, अगर वे 31 दिसंबर 2014 से पहले आए हों तो भारत में रहने की इजाजत देते हैं। 2015 में उक्त दोनों कानूनों में उसी शब्दावली को जोड़ दिया गया था, जो अब सीएए के जरिए जोड़ी गयी है। ये बदलाव दिखाते हैं कि यह सरकार बड़े सुनियोजित तरीके से भारत के संविधान के साथ भीतरघात करने और लोगों के अधिकारों व नागरिकता को इस तरह धर्म के साथ जोड़ने के लिए कदम उठा रही थी, जिससे एक खास धर्मिक समुदाय के लोगों यानी मुसलमानों को बाहर किया जा सके।

झूठ-2: जो विपक्षी पार्टियां पहले हिंदू आप्रवासी समुदायों को नागरिकता देने का समर्थन करती थीं, अब वोट बैंक की राजनीति के लिए नागरिकता का कानून का विरोध कर रही हैं।

प्रधानमंत्री ने 22 दिसंबर को अपने भाषण में कहा कि कांग्रेस और सी पी आइ (एम), पहले तो 'बांग्लादेश के अल्पसं यक समुदाय के लोगों' को नागरिकता देने की मांग करती थीं, लेकिन अब इस मामले में पल्टी मार गयी हैं। इस सिलसिले में उनकी तरफ से 2012 में हुई सी पी आइ (एम) की 20वीं कांग्रेस के एक प्रस्ताव और पार्टी के तत्कालीन महासचिव, प्रकाश करात के एक पत्र को भी उद्यृत किया जाता है।

सत्य: किसी वंचित तबके के अधिकारों की चिंता करना तो एक बात है, लेकिन उसे नागरिकता के अधिकारों से किसी समुदाय के बहिष्करण की जहरीली नीति के साथ के साथ कैसे मिलाया जा सकता है, जैसा मोदी सरकार कर रही है।

सी पी आइ (एम) बेशक, भारत में शरण चाहने वाले शरणार्थियों के हितों की चिंता करती है। ब्रिटिश राज द्वारा संचालित विभाजन के एक करोड़ से ज्यादा असहाय पीड़ितों को अधिकार दिलाने में क युनिस्टों और वामपंथ ने बेशक गौरवपूर्ण भूमिका अदा की थी। इन विस्थापितों का समुचित पुनर्वास सुनिश्चित करने की लड़ाई, पश्चिम बंगाल में क युनिस्ट तथा वामपंथी आंदोलन की एक महत्वपूर्ण अंग बनी रही है। बंगाल के शरणार्थियों की कठिनाइयों के उस जमाने में, आरएसएस का दूर-दूर तक कहीं अता-पता ही नहीं था।

हमारी पार्टी यह भी मांग करती आयी है कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों में से नामशूद्र दलित समुदाय को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए। प0 बंगाल में तो इस समुदाय को यह दर्जा मिल चुका है, लेकिन उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश तथा मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में, जहां इन शरणार्थियों को बसाया गया है, उन्हें यह दर्जा नहीं मिला है। इन राज्यों की भाजपायी सरकारों ने, इन शरणार्थियों को अनुसूचित जाति का दर्जा देने से इंकार कर दिया था। बेशक, हमारी पार्टी कांग्रेस ने इसी सब को लेकर एक प्रस्ताव स्वीकार किया था और बाद में तत्कालीन प्रधानमंत्री, मनमोहन सिंह को इस संबंध में एक पत्र भी लिखा गया था। लेकिन, सी पी आइ (एम) ने किसी भी नीतिगत निर्णय में, मुसलमानों को बाहर रखे जाने की नीति का कभी भी समर्थन नहीं किया, फिर बांग्लदेश से आए लोगों के नागरिकता के अधिकारों के ही संबंध में किसी भेदभावपूर्ण कानून का समर्थन करने का तो सवाल ही कहां उठता है। सी पी आइ (एम),नागरिकता की पात्रता तय करने में धर्म के आधार पर ऐसे किसी भी विभेद के पूरी तरह से खिलाफ है।

झूठ-3: सीएए का राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) से तो कुछ लेना-देना ही नहीं है। ये तो दो बिल्कुल अलग-अलग चीजें हैं और विपक्ष झूठे ही उन्हें जोड़ रहा है।

सत्य: सीएए और एनआरसी घनिष्ठ रूप से आपस में जुड़े हुए हैं। भाजपा की योजना यह है कि पहले सीएए को लागू किया जाए और इस तरह अफगानिस्तान, बांग्लादेश तथा पाकिस्तान, तीनों से आए सभी गैर-मुसलमानों को नागरिकता दे दी जाए। इसके बाद एनआरसी लाकर, ''घुसपैठियों'' की पहचान की जाए। और घुसपैठियों को शरणार्थियों से अलग कैसे किया जाएगा? सीएए की परिभाषा के अनुसार, मुसलमान ही हैं जिन्हें शरणार्थी नहीं माना जाएगा और इसलिए उन्हें ही घुसपैठिया माना जाएगा। सीएए और एनआरसी का यह घातक रिश्ता खुद भाजपा बार-बार स्पष्ट करती आयी है, जिसकी कुछ मिसालें इस प्रकार हैं:

2019 के अप्रैल में अमित शाह ने कहा था: 'पहले सीएबी आएगा। सभी शरणार्थियों को नागरिकता मिल जाएगी। उसके बाद एनआरसी आएगी। इसलिए, शरणार्थियों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, पर घुसपैठियों को जरूर डरना चाहिए। इनके क्रम को समझ लीजिए--सीएबी पहले आएगा, तब एनआरसी आएगी। एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं है, यह पूरे देश के लिए है।'(वीडियो भाजपा की आधिकारिक वैबसाइट पर है।)

9 दिसंबर 2019: अमित शाह ने संसद में कहा कि सीएए के पारित होने के बाद, एक देशव्यापी एनआरसी आएगी। लोकसभा में सीएए पर बहस के दौरान उन्होंने कहा, 'हम देश भर में एनआरसी लाएंगे। एक भी घुसपैठिए को नहीं छोड़ा जाएगा।'

19 दिसंबर, 2019: भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष, जे पी नड्डा ने कहा कि सीएएए को लागू किया जाएगा और 'आगे चलकर एनआरसी लायी जाएगी।' उन्होंने आगे कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत आगे बढ़ रहा है और बढ़ता रहेगा। नागरिकता (संशोधन) कानून को लागू किया जाएगा, भविष्य में एनआरसी को भी लागू किया जाएगा।'

साफ है कि सीएए और एनआरसी कोई विपक्ष नहीं जोड़ रहा है, उल्टे भाजपा का शैतानी मंसूबा ही है जो उन्हें आपस में जोड़कर एक हथियार बनाता है।

झूठ-4: मोदी ने 22 दिसंबर को दिल्ली की अपनी रैली में कहा था: 'मैं भारत के 130 करोड़ नागरिकों को बताना चाहता हूं कि 2014 में मेरी सरकार के सत्ता में आने के बाद, किसी भी स्तर पर एनआरसी पर कोई चर्चा ही नहीं हुई है।'

सत्य: यह भारत की त्रासदी है कि प्रधानमंत्री तो खुद ही झूठों का सरदार है।

20 जून 2019 को संसद के संयुक्त सत्र में अपने परंपरागत संबोधन में भारत के राष्ट्रपति ने कहा था: 'अवैध घुसपैठिए हमारी आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा हैं। इससे सामाजिक असंतुलन पैदा हो रहा है और आजीविका की सीमित संसाधनों पर भारी दबाव पड़ रहा है। मेरी सरकार ने तय किया है कि प्राथमिकता देकर घुसपैठियों से प्रभावित क्षेत्रों में...राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया को लागू किया जाए। जहां एक ओर सरकार घुसपैठियों की पहचान करने के लिए काम कर रही है, वहीं दूसरी ओर वह अपनी आस्था के चलते उत्पीड़न के शिकारों को संरक्षण देने के लिए भी पूरी तरह से वचनबद्ध है।' राष्ट्रपति का भाषण, नीति संबंधी वक्तव्य होता है, जो खुद सरकार तैयार करती है। तब प्रधानमंत्री जी यह दावा कैसे कर सकते हैं कि एनआरसी पर तो उनकी सरकार में कभी कोई चर्चा ही नहीं हुई?

21 नवंबर,2019: अमित शाह ने राज्यसभा में कहा, 'देश भर में राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एनआरसी) प्रक्रिया लागू की जाएगी।' क्या उन्होंने यह एलान बिना किसी चर्चा के ही कर दिया?

संसद में अपने जवाबों में सरकार के विभिन्न मंत्रियों द्वारा कम से कम नौ बार एनआरसी लागू करने का एलान किया गया है। सार्वजनिक भाषणों में अनगिनत बार इसकी घोषणा की गयी है सो अलग। क्या ये सारी की सारी सरकारी घोषणाएं बिना किसी चर्चा के ही की गयी थीं? क्या प्रधानमंत्री मोदी इन तमाम घोषणाओं को वापस ले रहे हैं? क्या इससे यह माना जाए कि उक्त मंत्रिगण संसद को गुमराह करने के दोषी हैं?

साफ है कि मोदी ने 130 करोड़ भारतीयों से झूठ बोला था कि एनआरसी की तो उनकी सरकार में कभी चर्चा ही नहीं हुई।

झूठ-5: मोदी, उनके मंत्रिमंडलीय साथी, उनकी पार्टी के प्रवक्ता और गोदी मीडिया के उनके वफादार विपक्ष पर झूठा प्रचार करने के आरोप लगा रहे हैं और दावे कर रहे हैं कि एनआरसी की प्रक्रिया को तो अभी कोई कानूनी रूप दिया ही नहीं गया है। गृह-राज्य मंत्री, जी किशन रेड्डी ने दावा किया है: 'अब तक देशव्यापी एनआरसी को अधिसूचित नहीं किया गया है और किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है।

सत्य: एनआरसी का कानून 2003 में वाजपेयी सरकार के समय में बनाया गया था। लालकृष्ण आडवाणी तब गृहमंत्री थे। भारत के इतिहास में पहली बार तत्कालीन सरकार ने यह फैसला लिया था कि भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाए। यह किया गया था, 1955 के नागरिकता कानून में संशोधन करने के जरिए। इस कानून में जो संशोधन किए गए, उनमें से एक था, उसमें धारा-14ए का जोड़ा जाना। यह धारा इस प्रकार है: 'धारा-14ए (2) केंद्र सरकार, भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर रखेगी और इस काम के लिए एक राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन अथॉरिटी कायम करेगी। (3)...भारत का रजिस्ट्रार जनरल, राष्ट्रीय रजिस्ट्रेशन प्राधिकार के रूप में काम करेगा और नागरिक रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार जनरल के रूप में काम करेगा।'

इस तरह पहली बार, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की अवधारणा को और एक राष्ट्रीय पहचान पत्र जारी किए जाने को भी कानूनी रूप में दिया गया। इसलिए, अब इसके लिए अलग से कानून बनाने की कोई जरूरत ही नहीं है क्योंकि एनआरसी को तो पहले ही नागरिकता कानून में घुसाया जा चुका है। पुन:, 2003 में ही एनआरसी को लागू करने के लिए नियम दिए गए थे और उनका अनुमोदन किया जा चुका था। इन नियमों में ठोस रूप से इसका उल्लेख किया गया है कि किस प्रक्रिया के जरिए एनआरसी को स्थापित किया जाएगा।

झूठ-6: एनआरसी प्रक्रिया तो शुरू ही नहीं हुई है और इसके लिए कोई अधिसूचना ही जारी नहीं हुई है।

सत्य: वाजपेयी सरकार ने 2003 में एनआरसी के पालन के लिए जो नियम अपनाए थे, उनमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यह प्रक्रिया, एक राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर तैयार करने के लिए घर-घर जाकर गणना से शुरू होगी। एनआरसी के नियमों की धारा-4 में कहा गया है, ' स्थानीय रजिस्ट्रार के कार्यक्षेत्र में साधारण रूप से रहने वाले सभी व्यक्तियों के संबंध में जानकारियां एकत्र करने के जरिए एक आबादी रजिस्टर तैयार किया जाएगा। (राष्ट्रीय रजिस्टर के हिस्से के तौर पर) भारतीय नागरिकों के स्थानीय रजिस्टर में समुचित सत्यापन के बाद, आबादी रजिस्टर से लोगों का विवरण रहेगा।' यह पर्याप्त रूप से स्पष्ट है कि एनआरसी को आबादी रजिस्टर के सत्यापन के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा।

2014 में 23 जुलाई को ही, तत्कालीन गृह-राज्य मंत्री, किरण रिजजू ने एनआरसी और एनपीआर के बीच के रिश्ते को भी स्पष्ट कर दिया था। 'सरकार ने अब तय किया है कि एनपीआर योजना के अंतर्गत एकत्र की गयी जानकारियों के आधार पर, देश के सभी व्यक्तियों के नागरिकता के दर्जे के सत्यापन के जरिए, भारतीय नागरिकों का एक राष्ट्रीय रजिस्टर बनाया जाए।'

एनपीआर की प्रक्रिया पहले ही शुरू भी हो चुकी है। एनपीआर तो तैयार करने तथा उसे अद्यतन बनाने के लिए अधिसूचना 31 जुलाई 2019 को नागरिक रजिस्ट्रेशन के रजिस्ट्रार जनरल ने एक गजट अधिसूचना के जरिए जारी कर दी थी कि 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2020 तक घर-घर जाकर गिनती शुरू होगी।'

इसलिए, यह कहना एक झूठ है कि एनआरसी की प्रक्रिया तो शुरू ही नहीं हुई है। एनपीआर के रूप में एनआरसी के पहले चरण की अधिसूचना पहले ही जारी की जा चुकी है।

झूठ-7: अमित शाह का दावा है कि एनपीआर का एनआरसी से कुछ लेना-देना ही नहीं है।

यह दावा अतिरिक्त सवालों के साथ एनपीआर को अद्यतन बनाने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के निर्णय की पृष्ठभूमि में किया जा रहा है। केंद्रीय सूचना व प्रसारण मंत्री, प्रकाश जावड़ेकर ने दावा किया है कि राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर सिर्फ जनगणना के मकसद के लिए है और इसका एनआरसी या नागरिकता से कुछ लेना-देना नहीं है। फिर विपक्ष क्यों कह रहा है कि इसका भारतीयों की नागरिकता पर कोई असर पड़ेगा?

सत्य: खुद अमित शाह के मंत्रालय ने 2018-19 की अपनी रिपोर्ट के अध्याय-15 के पैरा 15.40 में कहा था, 'भारत सरकार ने, सभी साधारण निवासियों के संबंध में विशेष जानकारियां एकत्र करने के जरिए, देश में राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर (एनपीआर) तैयार करने की एक योजना का अनुमोदन किया है। एनपीआर, भारतीय नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर (एनआरआइसी) तैयार करने के लिए पहला कदम है। 2010 के एनपीआर में एकत्रित किए गए जनसांि यकीय डॉटा को 2015 में अद्यतन किया गया था। इस योजना के अंतर्गत 33.43 करोड़ लोगों का बॉयोमीट्रिक इंदराज किया गया है।

तो झूठा कौन है? गृहमंत्रायल या गृहमंत्री?

सबसे पहले तो सरकार ने सीएए और एनआरसी के बीच के रिश्ते को ही झुठलाने की कोशिश की। जब उसका यह झूठ बेनकाब हो गया, तो वह एनपीआर के संबंध में सचाइयों को छुपाने में लग गयी। चूंकि एनपीआर को अद्यतन करने का काम, 2021 की जनगणना के काम के साथ किया जा रहा है, इसलिए सरकार अब यह दावा कर रही है कि यह तो जनगणना का ही हिस्सा है। बेशक, ये दोनों प्रक्रियाएं जनगणना अधिकारियों के माध्यम से ही करायी जाती हैं, लेकिन **ये दो अलग-अलग चीजें हैं**, जिनके फार्मेट तथा प्रश्नावलियां भी अलग-अलग हैं।

एनपीआर सीधे-सीधे एनआरसी से जुड़ा हुआ है। 1 अप्रैल 2020 से लगाकर, राष्ट्रीय आबादी रजिस्टर के लिए घर-घर जाकर गिनती के साथ, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी।

मोदी सरकार ने इस कसरत में नागरिकों से पूछे जाने वाले सवालों में छः नये सवाल जोड़े हैं और इसके साथ पहले चरण में पूछे जाने वाले प्रश्नों की सं या 21 हो गयी है। पहले वाले 15 सवालों का संबंध जानसांि यकीय जानकारियों से था जैसे नाम, आयु, लिंग, संबंधित परिवार के साथ रिश्ता, राष्ट्रीयता, शैक्षणिक योग्यता, पेशा, जन्मतिथि,

वैवाहिक दर्जा, रिहाइशी पता, जन्म स्थान और मातृ भाषा। जो छः नये सवाल जोड़े गए हैं उनमें पिता तथा माता का नाम, उनके जन्मस्थान तथा जन्मतिथियां और आधार के विवरण शामिल हैं। इसके बाद आधार की जानकारियों का यूनीक आइडेंटिफिकेशल अॅथारिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) से मिलान कर, संबंधित व्यक्ति के बॉयोमीट्रिक्स का सत्यापन किया जाएगा।

यह कहना कि एनपीआर, जनगणना का हिस्सा है, एक झूठ है। ऐसा कत्तई नहीं है।

झूठ-8: किसी भी भारतीय को डरने की कोई जरूरत नहीं है।

सत्यः गरीबों और हाशिए पर पड़े तबकों के डरने की वजहें ही वजहें हैं। छः नये सवालों में माता-पिता के जन्म स्थान तथा जन्म तिथि से संबंधित सवाल क्यों जोड़े गए हैं? कितने परिवारों के पास ऐसा विवरण होगा और उसके सबूत होंगे? असम में एनआरसी की प्रक्रिया, हालांकि उसकी प्रकृति अलग थी, दिखा चुकी है कि कैसे इस सब में भारी विसंगतियां रहती हैं और उन गरीबों को कैसे डर का सामना करना पड़ता है, जिनके पास जरूरी दस्तावेज नहीं होते हैं। इनमें सभी धर्मों, जातियों और भाषायी समुदायों के लोग आते हैं। भारत के एक पूर्व-राष्ट्रपति के परिवार के लोगों तक को विदेशी घोषित कर दिया गया था। कारगिल में युद्ध के मोर्चे पर देश की रक्षा करने वाले एक फौजी को विदेशी घोषित कर दिया गया था। बड़ी सं या में ऐसी महिलाओं का भारतीय नागरिकता का दावा खारिज कर दिया गया था जो शादी के चलते किसी और जगह पर जाकर रहने लगी थीं और अपने मां-बाप से जोड़ने वाले दस्तावेज नहीं पेश कर पायी थीं।

विवरण एकत्रित करने के बाद, इन जानकारियों का पहले यूनीक आइडेंटिफिकेशन अॅथारिटी ऑफ इंडिया (यूआइडीएआइ) के साथ मिलान किया जाएगा, ताकि संबंधित व्यक्ति के बॉयोमीट्रिक्स का सत्यापन किया जा सके। अनुभव दिखाता है कि किस तरह आधार से हासिल बॉयोमीट्रिक्स के मेल न खाने की समस्या के चलते, लाखों लोगों को विभिन्न लाभों से वंचित रहना पड़ा है। अगर नागरिकता के सत्यापन के मामले में भी ऐसा ही होता है, तो यह करोड़ों गरीबों के लिए भयानक दुःस्वप्न में साबित होगा।

आधार से सत्यापन के बाद, इन जानकारियों को स्थानीय आबादी रजिस्टर में डाला जाएगा। अब स्थानीय रजिस्ट्रार सूची की पड़ताल करेगा और गणनाकर्ता द्वारा इंगित किए गए किसी भी व्यक्ति या परिवार के आगे अंगरेजी का ''डी'' अक्षर टांक देगा, जिसका अर्थ होगा संदिग्ध। एक बार ऐसा होने के बाद, संबंधित व्यक्ति या व्यक्तियों को इस संबंध में सूचित किया जाएगा और इसके साथ शुरू हो जाएगा अपनी वैधता साबित करने के लिए उनके चक्कर दर चक्कर लगाने का सिलसिला। इसी मुकाम पर उन्हें अपने दावों के सत्यापन के लिए दस्तावेज पेश करने होंगे। हमारे देश में ज्यादातर गरीबों के पास अपने जन्म प्रमाणपत्र तक नहीं होते हैं, अपनी पिछली पीढ़ियों के विवरणों का तो सवाल ही कहां उठता है। इतना ही नहीं, यह ऐसा खाका है जिसमें सांप्रदायिक प्रोफाइलिंग आसानी से घुस सकती है और खुद गृहमंत्री द्वारा किए जाते रहे एलानों के ही अनुरूप, एक खास समुदाय के नागरिकों को निशाना बनाया जा सकता है। आखिरकार, उनका तो कहना ही है कि एनआरसी का मकसद चुन-चुनकर ''घुसपैठियों'' को निकालना है, जबकि इससे पहले सीएए के जरिए हिंदू शरणार्थियों को नागरिकता का पात्र बना दिया जाएगा। 'संदिग्ध नागरिक' की ऐसी सूची में डाले जाने वालों को, अपनी नागरिकता साबित करने की दुःसह्य प्रक्रिया से गुजरना होगा।

2003 में नागरिकता कानून में किए गए संशोधनों के अनुसार, भारत में जन्म का सबूत देना या एक निश्चित अवधि से भारत में रह रहे होने का सबूत देना काफी नहीं होगा। जैसाकि असम में एनआरसी की प्रक्रिया के दौरान देखने को मिला, व्यक्ति की पहचान साबित करने वाला कोई भी दस्तावेज--जन्म प्रमाणपत्र, आधार, मतदाता पहचान पत्र, पैन कार्ड या पॉसपोट--अपने आप में नागरिकता के सबूत के रूप में स्वीकार्य नहीं था। इसके ऊपर से यह मुश्किल और है कि 2003 के संशोधन यह शर्त भी लगाते हैं कि संतानों के भारत का नागरिक माने जाने के लिए यह जरूरी है कि या तो उसके माता-पिता, दोनों भारतीय नागरिक हों या माता-पिता में से एक भारतीय नागरिक हो, पर दूसरा अवैध आप्रवासी

नहीं हो। इसका अर्थ यह है कि अपना नागरिक होना साबित करने के लिए किसी भी व्यक्ति के लिए, इतना साबित करना काफी नहीं होगा कि वह भारत में पैदा हुआ था बल्कि अपने माता-पिता की नागरिकता भी साबित करनी होगी। और अगर माता-पिता में से किसी एक के पास अपने भारतीय नागरिक न होने का सबूत नहीं हुआ, तो उसे यह साबित करने की और मुश्किल चुनौती का सामना करना पड़ेगा कि वह अवैध आप्रवासी नहीं है।

झूठ-9: मोदी ने कहा कि देश में कहीं कोई डिटेंशन सेंटर है ही नहीं।

सत्य: गृह राज्य मंत्री ने, 11 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि सभी राज्यों को डिटेंशन सेंटर बनाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि अवैध आप्रवासियों को या विदेशी घोषित किए जा चुके लोगों को, उनका प्रत्यर्पण होने तक रखा जा सके। केंद्र सरकार ने 9 जनवरी 2019 को ऐसे डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए सभी राज्य/ संघ प्रशासकों को समेकीकृत निर्देश भेजे थे।

गृह मंत्रालय ने 24/29 अप्रैल 2019 को और फिर 9-10 सितंबर 2014 को निर्देश भेजे थे। इस के आधार पर 2018 में सभी राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के लिए एक मॉडल डिटेंशन सेंटर/ होल्डिंग सेंटर/ कैंप मैनुअल जारी किया गया था।

28 नवंबर को केंद्र सरकार ने कर्नाटक हाई कोर्ट से कहा था कि, 'हमने 2014 में सभी राज्य सरकारों को लिखा था और 2018 में फोलो-अप पत्र लिखा था कि भारत में अवैध तरीके से रह रहे विदेशियों को रखने के लिए डिटेंशन सेंटर बनाएं।'

कई भाजपा सरकारों ने, जैसे कर्नाटक सरकार ने, डिटेंशन सेंटर बनाने के लिए निर्देश भी दे दिए थे। महाराष्ट्र की पिछली फडनवीस सरकार ने भी ऐसे डिटेंशन सेंटरों के लिए जमीन आवंटित की थी।

2019 के नवंबर में, गृह राज्य मंत्री ने राज्यसभा में एक सवाल के जवाब में बताया था कि असम के डिटेंशन केंपों में, जहां संदिग्ध आप्रवासियों को रखा जाता है, 28 लोगों की मौत हुई थी। उन्होंने बताया कि असम में छः डिटेंशन कैंपों में 988 ''विदेशी'' रखे जा रहे थे।

झूठ-10: सीएए-विरोधी प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कोई बल प्रयोग किया ही नहीं गया। दिल्ली में या उत्तर प्रदेश में और अन्य भाजपा-शासित राज्यों में भी, जहां बड़े पैमाने पर विरोध कार्रवाइयां हुई हैं, पुलिस ने किसी पर कोई गोली नहीं चलायी है।

सत्य: विरोध प्रदर्शनों के दौरान हिंसा सिर्फ भाजपा-शासित राज्यों में हुई है, जहां प्रदर्शनकारियों पर बर्बरता से दमन हुआ है। सभी गैरभाजपा-शासित राज्यों में विशाल किंतु शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए हैं और वहां कोई हिंसा नहीं हुई है।

उत्तर प्रदेश में ही पुलिस की गोलीबारी में 21 मौतें हुई हैं और यह सं या रोज-रोज बढ़ती जा रही है। यह दावा कि पुलिस ने कोई गोली ही नहीं चलायी, पूरी तरह से बेतुका और हास्यास्पद है। क्या प्रदर्शनकारियों ने खुद ही अपने गोली मार ली? उत्तर प्रदेश में कितनी ही जगहों पर पुलिस ने आम नागरिकों पर अत्याचार किए हैं और महिलाओं को भी नहीं ब शा है। इसके भी वीडियो साक्ष्य सामने आए हैं कि खुद उत्तर प्रदेश पुलिस ने वाहनों, मोटरसाइकिलों, दूकानों आदि, निजी संपत्तियों को तोड़ा-फोड़ा है। दिल्ली और उत्तर प्रदेश, दोनों जगहों पर पुलिस के गोली चलाने के वीडियो साक्ष्य हैं। लेकिन, मोदी सरकार ने दोषी पुलिसवालों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। दिल्ली पुलिस हथियारों के साथ जामिया विश्वविद्यालय में घुस गयी, वहां लाइब्रेरी तथा होस्टल में निहत्थे छात्रों की नृशंसता से पिटाई की, यहां तक पुलिस ने शौचालयों तक में घुसकर छात्रों को पीटा और उन्हें घसीटते हुए बाहर ले गयी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में जो हुआ और भयानक था। विश्वविद्यालय परिसर के अंदर पुलिस ने स्टन ग्रेनेडों, आंसू गैस के गोलों आदि का इस्तेमाल किया और छात्रों की निर्ममता से पिटाई की, जिससे कई छात्र गं ीर रूप से घायल हो गए।

असम में विरोध प्रदर्शनों में पुलिस की गोली से पांच लोग मारे गए। कर्नाटक में पुलिस की गोलीबारी में कम से कम दो लोगों की मौत हुई है।

जगह–जगह प्रदर्शनकारियों पर झूठे मुकद्दमे लाद दिए गए हैं। इनमें सी पी आइ (एम) के नेता तथा कार्यकर्ता भी शामिल हैं। गुजरात में, पार्टी की केंद्रीय कमेटी के सदस्य, अरुण मेहता को गिर तार कर लिया गया और उन पर सांप्रदायिक तनाव भड़काने का मुकद्मा बना दिया गया। वह अहमदाबाद में वामपंथी पार्टियों के शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे थे। प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र, वाराणसी में सी पी आइ (एम) की करीब–करीब पूरी जिला कमेटी को ही झूठे आरोपों में जेल में डाल दिया गया। वे 19 दिसंबर 2019 को देशव्यापी विरोध के आयोजन के वामपंथी पार्टियों के आह्वान में शामिल हुए थे।

भाजपा की सरकार को शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का जनता का संवैधानिक अधिकार भी मंजूर नहीं है। वह एक घोर तानाशाहीपूर्ण सांप्रदायिक निजाम के सत्ता के दंभ का ही प्रदर्शन कर रही है।

निष्कर्ष:

यह कोई हिंदू–मुसलमान का सवाल नहीं है, जैसाकि बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। यह तो ऐसा सवाल है जो भारत के संविधान पर ही और इसलिए, भारत के हरेक नागरिक पर असर डालता है। संघ परिवार को, स्वामी विवेकानंद के 1893 के शिकागो के भाषण को याद करना चाहिए और उससे सीखना चाहिए: 'मुझे गर्व है कि मैं ऐसे देश से हूं जिसने सभी धर्मों के और दुनिया के सभी देशों के उत्पीड़ितों को और शरणार्थियों को अपने यहां शरण दी है।'

संघ परिवार ने, भाजपा जिसका एक अंग है, भारत के संविधान को कभी स्वीकार नहीं किया था। 1950 में, जब डा0 बाबासाहेब आ बेडकर ने भारतीय संसद की मंजूरी के लिए संविधान का मसौदा रखा था, आरएसएस ने उसका विरोध किया था। वे तो सावरकर और जिन्ना द्वारा प्रस्तावित द्विराष्ट्र सिद्धांत के ही पैरोकार थे। उन्होंने यह मांग ी की थी कि मनुस्मृति को ही संविधान का आधार बनाया जाना चाहिए। अपनी इसी विचारधारा और एक धर्माधारित राज्य स्थापित करने की अपनी वचनबद्धता के चलते ही वे सीएए, एनआरसी तथा एनपीआर को लागू करने को, नागरिकता को धर्म के साथ जोड़ने की ओर पहले कदम की तरह देख रहे हैं।

बहरहाल, देश भर में हो रहीं विरोध कार्रवाइयां, जिनमें समाज के विभिन्न तबके शिरकत कर रहे हैं, दिखाती हैं कि भारत की जनता, भाजपा–आरएसएस सरकार के इस त्रिशूली हमले से, भारत के संविधान की हिफाजत करने की अपनी वचनबद्धता में एकजुट है। अब तक 13 मु यमंत्री इसका एलान कर चुके हैं कि वे अपने राज्यों में एनआरसी लागू नहीं करेंगे। केरल की एलडीएफ सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी करने में पहल की है कि केरल में एनपीआर के परिपालन को रोका जा रहा है। यह जरूरी है कि जो सरकारें एनआरसी का विरोध कर रही हैं, एनपीआर को अद्यतन बनाने तथा इसकी प्रक्रिया शुरू करने के केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले को ठुकरा दें।

एनपीआर/एनआरसी की प्रक्रिया को तब थोपा जा रहा है, जब देश की ज्यादातर आबादी को आधार पहचान पत्रों के जरिए पहले ही कवर किया जा चुका है। इसके अलावा चुनावी फोटोयुक्त पहचानपत्र भी हैं, जो भारत के चुनाव आयोग द्वारा जारी किए गए हैं। इसलिए, एक और नागरिक रजिस्टर और पहचान पत्र की कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा यह कसरत बहुत ही खर्चीली साबित होने वाली है। असम में एनआरसी की प्रक्रिया पर 1220 करोड़ रु0 खर्च आया था, जबकि उसकी आबादी, भारत की कुल आबादी के 3 फीसद से भी कम है। इस हिसाब से एनआरसी प्रक्रिया पर 50,000 करोड़ रु0 से ज्यादा ही खर्च होने जा रहे हैं!

भारत आज मंदी के शिकंजे में है। इस संकट का सारा बोझ आम जनता पर पड़ रहा है, जबकि मोदी सरकार की मेहरबानी से बड़े कार्पोरेट घराने तथा अति–धनिक, मौज कर रहे हैं। संविधान की हिफाजत करने की हमारी आज की

लड़ाई, आर्थिक व सामाजिक न्याय के हक में और देशवासियों को रोजगार तथा इंसानों जैसी जिंदगी मुहैया कराने में अपनी घोर विफलता की तरफ से ध्यान हटाने में इस सरकार की कोशिशों के खिलाफ लड़ाई से, गहराई से जुड़ी हुई है।

हम आशा करते हैं कि यहां हमने जो तथ्य रखे हैं, कम से कम भाजपा तथा उसके संगी संघ परिवारियों द्वारा फैलाए जा रहे कुछ झूठ व कुप्रचार को बेनकाब करेंगे और संविधान की हिमायत में और सीएए/एनआरसी/एनपीआर के खिलाफ हमारे संघर्ष को कुछ बल देंगे। 0

#
#
#
#